Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up the Indo-Tibetan Border Police Force Bill, 1992.

THE INDO-TIBETAN BORDER POLICE FORCE BILL, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the constitution and regulation of an armed force of the Union for ensuring the securities of the borders of India and matters connected therewith, be taken into consideration."

Sir, as the House is aware, the Indo-Tibetan Border Police was raised in October, 1962 in the wake of Chinese aggression on our Northern borders. The Force was conceived as an integrated unconventional Guerilla-cum-intelligence-cum-fighting Force meant to operate primarily in the inhospitable, wild and vertical world of the Himalayas. Since its inception, it has been mainly deployed ahead of Army defences in the remote areas of Northern borders at altitudes of 9,000 to 19,000 ft. above the sea level in the States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. It has been discharging it's role, including border surveillance, effectively. Moreover, during the past three decades, it has also acquired a rich experience in the fields of high risk VVIP security duties, banks security duties and in anti-terrorist operations in States like Jammu & Kashmir and Punjab. The specialisation acquired by ITBP has accorded it a recognisable identity of its own.

The ITBP, since its raising, is being governed by the provisions of the CRPF Act, 1949 and the CRPF Rules, 1955 as amended from time to time. However, the role of ITBP is distinct from that of CRPF, as it includes providing a sense of security to the population living on the borders, controlling trans-border traffic, ensuring effective border surveillance and functioning under the operational control of the Army as may be required in senstive areas. This role demands legal provisions of a nature somewhat different from those required by the CRPF. This is the background in which the Indo-Tibetan Borer Police Bill, 1992 has been introduced. A separate Act would also impart a sense of pride and recognition to the ITBP personnel. With these words I commend this Bill to this august House for approval.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is one amendment by Shri Krishan Lal Sharma for reference of the Bill to the Joint Committee of Parliament.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को रेफर किया जाए । जैसा कि अभी बताया गया यह बहुत बड़ा बिल है 157 क्लाजेज हैं, 30 साल के बाद यह बिल लाया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस पर और विस्तृत विचार होना चाहिए और जल्दी बाजी में इसको पास नहीं करना चाहिए । तीस साल के बाद यह बिल लाया जा रहा है और फिर अधूरा रह जाए यह उचित नहीं है । इस लिए मैं अपना संशोधन दे रहा हूं कि इसको दोनों सदनों की संयुक्त समिति

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

को जिसमें लोक सभा के 20 तथा राज्य सभा के 10 सदस्य हों, रेफर किया जाए। मैं अनुरोध करूंगा कि लोक सभा के सदस्यों के नाम बताए जाए, लेकिन हमारे हाउस के जो लोग होंगे उनके नाम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं :

1. श्री चतुरानन मिश्र
2. श्रीमती रेणुका चौधरी
3. मोहम्मद खलीलुर रहमान
4. श्री शब्बीर अहमद सलारिया
5. श्री सुरेश कलमाडी
6. श्री इकबाल सिंह
7. श्री भूपेन्द्र सिंह मान
8. श्री महेश्वर सिंह
9. श्री महेन्द्र सिंह लाठर
10. श्री संघ प्रिय गौतम

इस समिति में 30 सदस्य हों। इसके नियम जो सेलेक्ट कमेटी के हैं वे हों, इसके कोरम का प्रावधान एक तिहाई होने पर कोरम माना जाए। इसलिए मेरा संशोधन है कि इसको संयुक्त समिति को रेफर किया जाए।

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, the motion for consideration of The Indo-Tibetan Border Police Force Bill, 1992, and the amendment moved by Shri Krishan Lal Sharma are open for discussion.

श्री **अनन्तराय देवशंकर दवे** (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे वैसे तो इस बिल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है, तो भी जो कुछ अभी यहां पर कहा गया है, इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। चूंकि 24 अक्टूबर, 1962 को इस फोर्स का गठन किया गया था। तीस साल के बाद यह बिल सरकार ला रही है। इस बिल में 11 अध्याय दिए गए हैं और जैसा अभी कहा गया 157 कलाजे इसमें हैं। इसके जो कुछ भी उद्देश्य और कारण हैं उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय, इनके बारे में जो कुछ शकायें मुझे हैं, मैं आशा करता हूं कि इनका समाधान गृह मंत्री महोदय करेंगे। जो इस में कहा गया है कि किस वजह से यह बिल यहां लाया गया है लेकिन मुझे इसमें कोई डिसिप्लेन के बारे में कुछ कहना नहीं है तथापि एफिशियेंसी के लिए इसमें एक भी लफ्ज नहीं कहा गया है। थोड़ी देर पहले इस सदन में जो बहस हो रही थी, और हम कह रहे थे कि जुडिशल कोर्टस को जो पावर्स दी गई है वह ले लीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स रहनी चाहिए। तो इसमें भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर्स रखी है। उनकी ओर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्यों ऐसे प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए? यह जो बिल हम बना रहे हैं इसमें 157 क्लाजेज हैं जिनमें डिसिप्लेन के हैं, कैसे आफेंस होंगे, वे भी हैं। कोर्ट कैसे बनेगी वह भी कहा गया है। कोर्ट काम कैसे करेगी वह भी कहा गया है। है। आफेंसेज उसमें बताए गए हैं कि फोर्स का आदमी जो उसका ब्रीच करेगा तो उन पर किस तरह से कानूनी कार्यवाही की जाएगी, वह भी इसमें कहा गया है। यह भी कहा गया है कि फोर्स कोर्ट किस तरह की सजा देगी। जब हम सभी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर क्यों रखती है। फोर्स कोर्ट को जब पावर आपने दी है तब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में पावर नहीं रखनी चाहिए। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कितनी ऐसी पनिशमेंट हैं जिनकी कनफरमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? मेरा कहना यह है कि जब आपने जुडिशियल पावर, फोर्स कोर्ट की दी है तो अपने हाथ में यह पावर मत रखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए। मेरा एक सुझाव भी है कि जहां भी यह फोर्स कोर्ट काम करती है, जहां यह फोर्स कोर्ट पाई जाती है तो उसके विस्तार के लिए हाई कोर्ट को पावर दे दीजिए या

सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दीजिए । जो पनिशमेंट हो उसकी कन्फरमेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने हाथ में पावर नहीं रखनी चाहिए । जब हम कोर्ट बना रहे है तो जो पनिशमेंट होगा वह ट्राइब्यूनल प्रोसीजर के मुताबिक वह कम चलेगा तो पनिशमेंट कन्फरमेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आने की जरूरत मैं नहीं समझता । एक बात जो अभी शर्मा जी ने कही कि 30 साल बाद इसे लाया जा रहा है । मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 30 साल बाद आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? मान लीजिए आपने बनाया, मुझे कोई एतराज नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब 30 साल बाद यह कोर्ट बना रहे है और सारी पावर आप इस फोर्स कोर्ट को दे रहे है, आफिस स्पेसिफाई कर रहे हैं कैसे बीच होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा,यह सब आप बता रहे हैं तो आपको पनिशमेंट की कन्फरमेशन अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए । अगर आप जुडिशियल पावर यूज करे रहे हैं तो यह पावर आप हाई कोर्ट को दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए तब मैं समझूंगा जो हम बनाने जा रहे हैं उससे हमें फायदा होगा । ये जवान हैं, बार्डर पर काम करेंगे, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहां पर भी जायेंगे । कई सजाएं इसमें दी गई हैं जो मैं समझता हूं ह्यूमनटेरियन ग्राउंड पर ठीक नहीं हैं । मान लीजिए कोई मामूली सजा है, लास्लेज की सजा आपने दी है पांच साल । इंटेंशनली लास्लेज है तो पांच साल की सजा दी जाए मुझे इसमें कोई एतराज नहीं । लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट लाना है कि स्पेशल आफेंस के लिए आप 5 साल या 10 साल की सजा देंगे तो मुझे ठीक नहीं लगता । एक ऐसा प्रावधान भी किया है पनिशमेंट के चैप्टर –4 में :

"Forefeiture in the case of person sentenced to dismissal from the service of all arrears of pay and allowances and other public money due to him at the time of such dismissal."

मान लीजिए उनका कोई पैसा जमा है, प्रोविडेंट फंड जमा है, कोई पब्लिक मनी उनका आपके पास जमा है तो वह फारफिट करना ठीक नहीं है । जब हम जुडिशियल पावर यूज करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं ऐसी जो सजाएं आपने इसमें रखी हैं वह निकाल देनी चाहिए । उनका जो कमाने का हक है उसे मत छीनिए । उनको कोई और सजा देनी है दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन जो उनका पैसा जमा है वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लें तो मैं समझता हूं ह्यूमनटेरियन ग्राउंड पर अच्छा नहीं है ।

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं और आपने सेक्शन 99 कहा है :

"The Indian Evidence Act, 1872, shall, subject to the provisions of this Act, apply to all proceedings before a Force Court."

उसके साथ ही सेक्शन 102 में कहा है :

"Nothing in section 101 shall be deemed to affect the operation of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872..."

और यह जो प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में करने जा रहे हैं इसको दूसरे ओर वापस भी ले रहे हैं । मुझे लगता है कि श्री कृष्ण लाल शर्मा जी ने जो बहुत अच्छा कहा और मुझे इस बिल को लाने में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए । इसमें कई प्रोविजन ऐसे दिए गए हैं जिनका कहीं न कहीं एक दूसरे से कंट्रेडिक्शन होता है । एक बात सेक्शन 99 में कही गई है—

"The Indian Evidence Act, 1872, shall, subject to the provisions of this Act, apply to all proceedings before a Force Court."

[श्री अनन्त राव देवशंकर दवे]

इसमें दोनों का कंकरेन्ट जुरिस्डिक्शन होता है । क्रिमिनल कोर्ट का और दूसरे कोर्ट का मामला होगा । इसमें किस का डिसीजन फाइनल होगा ? वह डायरेक्टर जनरल का होगा । मैं समझता हूं कि जब हम ये जुडिसियल पावर्स दे रहे हैं तो ये पावर्स डायरेक्टर जनरल के पास नहीं रहनी चाहिए । ये पावर्स या तो हाई कोर्ट को दे दीजिये या सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिये । इस बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई फैसला करे । आज स्थिति यह है कि सब पावर्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है । मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता रहने से हम फोर्स के लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे । इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर्स न रखे । जो जुडिसियल पावर्स हैं वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए ।

लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेक्शन 57 में आपने कहा कि है आप इसमें सुधार करना चाहते हैं । इस सेक्शन 57 में आपने कहा है कि आप इस फोर्स का उपयोग कहीं भी करेंगे । यह बात आपने सेक्शन 13 में कही है और पहले भी कही है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि इस फोर्स का उपयोग पोलिटिकल नहीं होगा। जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां जायेंगे तो दूसरी बात है, प्रदेशों में जायेंगे तो दूसरी बात है, जैसा आपने कहा कि श्रीलंका में इस फोर्स ने काम किया था । उसमें हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन कोई डिस्टर्ब एरिया नहीं है, वहां पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम इसका पोलिटिकल उपयोग करे तो यह इस कानून का दुरुपयोग होगा।

मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, सेक्शन वाइज चर्चा होनी चाहिए । आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड है, आपका बी.एस.एफ. एक्ट है, इस प्रकार के और भी कानून हैं । इसलिए मैं मानता हूं कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, ऐसा मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं । साथ साथ हमारे माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल शर्मा द्वारा जो एमेंडमेंट मूव किया गया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय, उसका विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं । इस भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल विधेयक का गठन 1962 में हुआ । उस वक्त चीन और भारत की सीमा पर तनाव का माहोल था । उस माहोल के बीच इसका गठन हुआ था । उत्तर क्षेत्र के इलाके की रक्षा के लिए एक सेना बल का गठन किया गया था और आज इसकी जरूरत इसलिए है कि जितने भी केंद्रीय सेना बल हैं, उन सबका अपना अपना एक स्टेच्यूट है और शायद यही एक मात्र पुलिस बल रह गया था जिसका कोई स्टेच्यूट नहीं था । हमारे हमारे पास सी.आर.पी.एफ. बल जो है उसका एक स्टेच्यूट है, बी.एस.एफ. का अपना स्टेच्यूट है । आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का तो है ही । यही एक ऐसा पुलिस बल रह गया था जिसका कोई विधेयक नहीं था, जिसके माध्यम से वह गाइड होता । यह एक अच्छी पहल है । और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल एक स्टेच्यूट के माध्यम से अब चल सकेगा।

महोदय, इस बल पर चर्चा करते हुए मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं । भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल का अपना एक गरिमामय इतिहास है और पिछले तीस सालों में इसने हर एक क्षेत्र में बडे कीर्तिमान स्थापित किए हैं । क्योंकि इनको एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग—पहाडों और जंगलों में रहकर किस तरह से सीमा की रक्षा की जाती है—किसी भी माहोल में और किसी भी वातावरण में सीमा की रक्षा करने के

लिए इनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके जवान आज तक उस ट्रेनिंग को लेकर पूरी तरह खरे उतरे हैं। महोदय, मैं इस मौके पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के दो जवान, सिपाहियों को, जिन्होंने कुछ दिन पहले—आप लोगों ने अखबारों में, टी.वी. पर या रेडियो में सुना होगा—इन्होंने एवरेस्ट पर किस तरह से पताका फहराई। यह हमारे लिए गौरव का विषय है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पर इसके साथ साथ मैं इससे परे हटकर गृह मंत्री जी को थोड़ी अपनी सलाह देना चाहता हूं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की ट्रेनिंग बहुत ही सशक्त है और उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। पर जिस काम के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस काम में वह पूरे सक्षम हैं। चाहे वह बर्फीले पहाड़ों का मसला हो, उनकी तरह वहां खड़े होकर पहरा देने वाला सिपाही मिलना मुश्किल है और चाहे वह ऊंची-नीची जगह का मसला हो वहां पर भी वे अच्छी तरह से गुरिल्ला फाइटिंग देते हैं और वहां पर भी उनसे बढ़िया पुलिस बल मिलना कठिन है। किसी भी मौसम में, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे तुफान आ रहा हो, चाहे बाढ़ आ रही हो, सब हालातों में वे काम कर सकते हैं ऐसी ट्रेनिंग उनको दी गई है। लेकिन, श्रीमन, इस पुलिस के ऐसे गरिमामय इतिहास के अंदर एक छोटा सा कलंक का टीका भी इस पर लगा हुआ है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि यह कलंक का टीका इस पर लगा। महोदय, इसमें कोई गलती भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के नौजवानों की नहीं है या उनकी ट्रेनिंग की नहीं है। यह हमारी गलती थी कि हमने उनको भारत-तिब्बत सीमा से हटाकर एक नंबर सफदरजंग रोड या एक नंबर अकबर रोड की बाउन्ड्री वाल के पहरे पर लगा दिया। हमारी हरमन प्यारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तो उस वक्त उनके घर का पहरा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान ही दे रहे थे। इस प्रकार यह एक छोटा सा कलंक का टीका इस बल के ऊपर लगा। पर मैं समझता हूं कि यह जो टीका लगा इसके पीछे कई और कारण थे। चाहे उनके सामर्थ या सक्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह है क्योंकि इनको ट्रेनिंग किसी और माहौल के लिए दी गई है पर इनका प्रयोग किसी और माहौल के लिए किया गया। इसलिए इसमें कमी रहती है। अगर एक जवान है, उसकी आंख की नज़र बड़ी अचूक है। दुश्मन को पहचानती है। पर इनके पास इनफॉरमेशन होनी चाहिये। आज विश्व की सबसे ताकतवर कोई चीज़ अगर है तो वह है इनफॉरमेशन। इनफॉरमेशन यदि बहादुर से बहादुर, तगड़े से तगड़े पुलिस बल के सैनिक को न मिले तो उसका तगड़े से तगड़ा और मजबूत से मजबूत हथियार, तेज और स्वचालित हथियार भी बेकार हो जाता है। अगर उसको इनफॉरमेशन न मिले कि किसी तरफ से अटैक हो रहा है या किस तरफ से लोग आने हैं या घर में कोई विभीषण तो नहीं बैठा है, ऐसी बातों की इनफॉरमेशन न मिले तो उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से जो बताया गया है कि देश की सीमा सुरक्षा के साथ साथ सीमा पार से अपराधों, तस्करी और भारतीय राज्य क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश या बाहर जाने से रोकने का भार सौंपा गया है और इसके अतिरिक्त बल को बैंक सुरक्षा संबंधी कार्य और आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में अन्य संवेदनशील कार्य सौंपे गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। बैंक की सुरक्षा और आतंकवाद से ग्रसित इलाकों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को लगाने के पहले मेरे ख्याल से स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्योंकि जितने भी सैनिक बल हैं या पुलिस बल हैं इनका आम लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं होता। आम लोगों की चिंता-धारा से कोई मेल नहीं होता क्योंकि इनकी चिंता-धारा

[श्री सुरेन्द्रमीत सिंह अहलुवालिया]

अलग होती है । यह तो मर मिटने वाले परवाने हैं जो अपने कर्त्तव्य के लिए करो या मरो पर जिन्दा रहते हैं । वहां इनको अगर इनफॉरमेशन न मिलें तो इनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है । मैं इस वक्त चूकना नहीं चाहता । मुझे पता है मेरा एक साथी रणधीर वर्मा जो धनबाद में सुपरिंटेंडेंट पुलिस था और नौजवान, बहादुर तथा साहसी युवक था । एक बार उसको खबर आई कि बैंक में डकैती हो रही है । किसी से कुछ कहे बगैर सिर्फ वायरलैस से कंट्रोल रूम को इनफार्म किया कि आप लोग वहां पहुंचो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, खुद वहां पहुंच गये । उनका पुलिस बल वहां थोड़ी देर में पहुंचा । वह बैंक डकैतों के साथ लड़ने लगा डाकुओं के पास तो बड़े सोफिस्टीकेटड हथियार थे और इनके पास एक सर्विस रिवाल्वर था । उस मुठभेड़ में वह मारा गया । अगर उन के पास इंटेलीजेंस इन्फॉरमेशन पहले से होती तब वह अपनी पूरी तैयारी के साथ जा सकते थे । पहले इनफॉरमेशन मिल जाती तो पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकते थे । आज भी बैंकों में आने जाने वाले लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रोकना है, इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है क्योंकि मोस्टली बैंक में टैक्सपेयर जाते हैं उनके साथ खराब व्यवहार रहा तो उनकी तरफ से शिकायत होगी । यह पुलिस बल के लोग तो ऐसे इलाकों में सीमा सुरक्षा का कार्य करते हैं जहां पर आसपास कोई परिंदा भी नहीं फड़फड़ा सकता है और यहां इनको आम लोगों के बीच में काम करना है । इसलिए मेरा कहना यह है कि इनका टेम्परामेंट वैसा बिल्ड किया गया है या नहीं किया गया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । दूसरी चीज यह है कि जब हम उन्हें ऐसे इलाकों में भेजते हैं जो आतंकवाद से ग्रसित हैं या आतंकवाद से ग्रसित इलाकों में जब वह कम्बेट करने के लिए जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो वहां दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं । आज जो आतंकवाद का विकराल रूप भारत में है यह एक नया नमूना है किसी भी देश को कमजोर करने का । इसमें सब से बेसिक चीज़ की आवश्यकता यह है कि जनता के बीच यह ढूंढा जाए कि आतंकवादी है कौन । क्या एक ही शक्ल के लोग यहां जितने घूम रहे हैं सब के सब आतंकवादी हैं ? पहले तो यह पहचानने की जरूरत है कि आतंकवादी हैं कौन, आइडेंटीफिकेशन की जरूरत है । फिर उनकी मांग क्या है, आखिर चाहते क्या हैं । यह निकालने की जरूरत है । तीसरा उनको अलग करके, जब अपने कब्जे में आ जाएं तो उनको किस तरह से रिफार्म किया जा सकता है उसके लिए क्या रास्ता किया जाए । ऐसी ट्रेनिंग क्या भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को हम उन्हें बैंकों के काम में डालने के पहले और आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में डालने के पहले देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं ? जहां तक मैं जानता हूं, हमारे पुलिस बल में, जितने भी पुलिस बल हमारे देश में हैं, वहां अभी तक कोई ऐसी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है । जब तक यह शुरू नहीं होगी सिर्फ हमारा यही टारगेट रहेगा कि आतंकवादी दिखा तो एलीमिनेट करने की बात सोचेंगे तो शायद यह काम लम्बा पड़ जाएगा और शायद हम ऐसे आतंकवाद खत्म नहीं कर सकेंगे । हमें बेसिक चीज की जरूरत है आइडेंटीफिकेशन की और बाद में रिफारमेशन की । इसके लिए मैं समझता हूं कि जिस शख्स को हमने गुरिल्ला वार करने की ट्रेनिंग दी है, जिसको कमांडो ट्रेनिंग दी है जिसके सामने कोबरा सांप आ जाए तो वह मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसको चबा सकता है ऐसी ट्रेनिंग दी गयी है, उसको हम किस तरह से ट्रेन करने जा रहे हैं कि वह जो लोग, जो हमारे देश के नौजवान दिभ्रांत हैं और विदेशी ताकतों के कब्जे में पड़कर विभ्रांत होकर गलत रास्ते में जाकर देश को टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू हैं, ऐसे पथभ्रष्ट लोगों को फिर से अच्छे रास्ते पर ले आयें । इसके लिए क्या ट्रेनिंग देंगे ।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से हम भारत तिब्बत सीमा

पुलिस के अंदर उनका मनोबल और ऊंचा कर सकेंगे क्योंकि उन्हें सेवा की सुरक्षा मिलेगी और सेवा की सुरक्षा के माध्यम से हम उनका मनोबल ऊंचा कर सकेंगे। पर मनोबल ऊंचा करने के साथ साथ वे अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकें और उन्हें कहीं नीचा न देखना पड़े और फिर वह कलंक का टीका जो उनके माथे पर लगा वह मिटाने का उन्हें एक मौका दिया जाए कि कम से कम वे किसी तरह अच्छा काम करके उसको भी मिटा डालें और गौरवमय इतिहास के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): I rise to make some observations on this Bill. By and large it is a laudable Bill, but there are certain unhappy backgrounds as a result of which the Bill was introduced in 1962. The Chinese aggression of 1962 preceded the raising of this Force. The Chinese aggresion of 1962 was preceded by the Chinese intrusions into Tibet in 1952. When the Chinese intrusions were made, there were some small skirmishes between the Chinese and the Indian troops in the areas of Tibet and its border areas. The Government of India at that time committed a great blunder, the blunder being the announcement by our respected and revered Prime Minister at that time, Shri Jawaharlal Nehru, that Tibet was part of China. The history will not forget that that was a Himalayan mistake which our then hon. Prime Minister, Jawaharlal Ji, and the then Government of India, committed in 1952. We will continue to take objection to that. In the name of *Hindi-Chini Bhai Bhai* Tibet was sacrificed. The Government of India gifted Tibet to the Chinese empire. Thereafter the Chinese aggression of 1962 came. That was an automatic corollary. The reason given then was that some time in the past history Tibet was included in the Chinese empire.

In that context, I would like to submit that the king of Manipur had conquered the sothern part of China in the 17th century for some decades. He is known as Khagemba. That means winner of China So the tiny State of Manipur also conquered temporarily the southern part of China. Does it mean that the Southern part of China should be the territory of Manipur, should be the territory of India? China said that Tibet was under temporary occupation of their Emperor and our Government in 1952 conceded Tibet to them. I just want to recollect this thing here.

Coming to the merits of the Bill...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Your time is very limited. Will you come to the Bill? It is not your maiden speech.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: The Bill which has been brought forward here is a laudable one. It contains different chapters. I would not like to deal with the General Force court, Petty Force court or Summary Force Court. The provisions provided in the Bill are more or less laudable. The suggestion made by one of my friends that appeal should go to the High Court and the Supreme Court does not suit in the context and the spirit of this Bill because the Indo-Tibetan Borber Police Force is deemed to be one of the most efficient forces. Now efficiency and discipline have to be maintnained. When the question of efficiency and discipline comes in and when the question of their liberties and rights comes in, we have to satisfy them to a certain extent. In the wording of the Bill you have mentioned there will be a judge, an Attorney and a General. They are all judicially-minded personnel. For the purpose of maintaining discipline and efficiency, they should not go to the High Court or to the Supreme Court. I do not mean that the High Court or the Supreme Court will not maintain discipline. But there is a difference between court-martial and civil trial under the Criminal Pro-

[Shri W. Kulabidhu Singh]

tion. If my learned friend contention is accepted, the whole Indian Army Act, the whole court-martial system has to be abolished. The difference should be made.

The previous speakers and Mr. Ahluwaliaji have spoken about the efficiency of the ITBP Force. I also subscribe to that idea. Indeed ITBP Force is a very efficient and disciplined Force. Whenever any calamity takes place, some battalions or some troops of the ITBP are sent over there. Even in the case of Pakistan aggression in 1965, ITBP Force had rendered a laudable service. They were able to fight back the Pakastanis. In the Rajouri front also they could fight back the Pakistani troops. Their services are very efficient and we must be very proud of them.

Whenever a bank robbery takes place, our ITBP troops are sent by the Government The present Bill ensures that thing. We should not interfere with the present Force, civil liberties and all that. By this I do not mean that we should sacrifice human rights.

Now Amnesty International has pointed out that there has been some torture and violation of human rights by our Indian forces also in the States of Punjab, Jammu and Kashmir, North-Eastern border States of Assam and Manipur. No doubt those human rights have to be guarded. But for the maintenance of discipline and efficiency this provision as it is in the present Bill, should be maintained. Sir, considering their efficiency, I would like to make this suggestion. Moreh is a border town between Manipur and Burma. A lot of smuggling is committed through this border town. The menacing drug heroin is smuggled from the Golden Triangle to Burma and through Moreh to India. Then it comes to Calcutta, Bombay, etc. The three agencies of the Border Security Force, the CRPF and the Manipur Civil Police are checking this smuggling very, very ineffectively. The CRPF jawans, the Border Security Force jawans and the Manipur Police personnel at Moreh are also involved in getting this unlawful thing through such smuggling. So, I would make this request to the hon. Home Minister. It is not within the purview of this Bill, no doubt. But the utilisation of the ITBP in the Moreh border may be considered by the Government because the smuggling of heroin through Moreh of Manipur is creating havoc. it is increasing the number of AIDS patients and spreading the AIDS disease in a large measure. A very vital part of the smuggling is being carried on in Moreh through Burma. Mr. Vice Chairman, I would like to appeal, through you, to the hon. Home Minister that the sending of a few sections of the ITBP force to Moreh in the Indo-Burma border should be taken into consideration. It is very essential for the safety of the country and the prevention of this disease which is menacing the whole country. The number of AIDS patients is increasing in the North-Eastern States like Manipur and Mizoram also. Manipur is in the fourth position after Maharashtra, West Bengal, etc. Therefore, for the purpose of curbing the AIDS menace, and stationing of a section of the Indo-Tibetan Border Police force in Moreh should be encouraged and given consideration by the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude now.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: Yes, Sir, I am trying to conclude.

Throughout the long border of 2116 kilometres from the Karakoram Pass to the Lipulekh Pass — the trijunction of India, Burma and Nepal — the ITBP forces are guarding. They are doing yeoman service very efficiently with discipline. So, ultimately, I would like to support this Bill

without provision for an appeal to High Court and with the request that the court-martial system of trial should not be abolished.

Coming to the last point, my learned friend, Ahluwaliaji, was speaking about a black spot in the ITBP; that is, the killer of Shrimati Indira Gandhi, our formes hon. Prime Minister, was an ITBP personnel.

SHRI S. S. AHLUWALIA: No, No. Sir, I want to make it clear. The ITBP forces were posted to guard the house. They were not... (*Interruptions*).

SHRI W. KULABIDHU SINGH: That is my weakness in Hindi. I withdraw it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That impression is wrong. He wanted to say something else. What he wanted to say was that they were not sent for that purpose and that was why it happened. That is what Mr. Ahluwalia wanted to say.

SHRI S. S. AHLUWALIA: The ITBP people were guarding the House. They were stationed outside, inside the boundary walls, when that incident occurred.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: The Black Cats, the security personnel of the VVIPs and the VIPs, were trained by this ITBP force at Kulu. This is a force which has been maintaining strict discipline and efficiency. Therefore, we must give all encouragement to the ITBP force. They have won laurels in the International games and Asian games. They have been doing it all along. During the 1982 Asian Games, this was the force which was responsible for the security of the foreigners and the players from different countries, so much so that in the NAM conference, CHOGM conference, the ITBP was looking after the security. With all these records, we should encourage them. The Biill brought before the House is an appropriate one. I would like to request that the procedure for trial by Force Court should not be curbed. It should be maintanied. With these words, I conclude. Thank you.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर सेक्युरिटी फोर्स बिल है, यह इस बल को सुसंयत बनाने और उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है । अभी इस बल के सामने जो समस्याएं हैं, उन सब को मद्दे नजर रखते हुए इसका कोडिफिकेशन कर दिया गया है और यह कानूनी अवस्था जो पैदा होती है किसी संगठन को चलाने में, उन सब के लिए उपाय और उनका सॉल्यूशन इस कानून के अंदर मिल जाएगा क्योंकि जब तक यह बल सुसंयत रूप में नहीं था तो बहुत सी दिक्कतें सामने आती थीं और दूसरे फोर्सेस के जो कानून थ, उनसे गाइडेंस लेनी पड़ती थी । तो माननीय गृह मंत्री जो यह कानून लाए हैं, वह कम्प्लीट शक्ल के साथ लाए हैं और मैं समझता हूं कि यह उसे ठीक से कंट्रोल करने गवर्न करने मजबूत बनाने और अनुशासन में लाने के लिए कारगर साबित होगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विरोधी दल के एक साथी कह रहे थे कि इस बिल को जॉइंट सलेक्ट कमेटी को भेज दो । मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह बिल इस फोर्स को चलाने के लिए है और इसमें कोई ऐसी पेचीदगी, समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली बात या देश की राजनीतिक या सामाजिक परिस्थिति को बदलने वाली कोई बात नहीं है । इसलिए यह जो सुझाव दिया गया है, यह मानने योग्य नहीं है । यह तो एक साधारण बिल है और मैं समझता हूं कि इसे आज ही पास कर दिया जाना चाहिए । महोदय, जैसा कि अभी हमारे साथी अहलूवालिया जी कह रहे हैं कि यह एक फोर्स है जोकि बड़ा ही निराला फोर्स है और इसकी सर्विसेज काबिले तारीफ हैं । इस फोर्स

[चौधरी हरि सिंह]

के जवान 14 हजार से 18 हजार तक की ऊंचाई, समुद्र के किनारों और शहरों में सब जगह काम करते हैं और इनके काम करने की जो अवस्था या परिस्थिति होती है, उसका सहज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक कि आप उन सीमाओं पर जाकर न देखें जिन्हें देखकर कि दिल कांपने लगता है, दहल जाता है । आपको अंदाज भी नहीं हो सकता उस ऊंचाई का जहां कि अण्डा बर्फ ही नहीं बल्कि लोहे की शक्ल ले लेता है । उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जहां कि उनके हाथ-पैर बर्फ से गल जाते हैं और उनका इलाज भी नहीं हो पाता है । मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इलाज की नई-नई खोज के बावजूद कई तरह की बीमारियों का इलाज उपलब्ध नहीं है । पहाड़ों में जो बीमारियां होती हैं, बर्फ से जो बीमारियां होती हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बीमारियां हमारे जवानों को, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज करने के लिए हमारे पास माकूल डाक्टर्स, हॉस्पिटल्स और रिसर्च के साधन नहीं हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ भारी धनराशि की व्यवस्था की जाए । इसे छोड़ नहीं देना चाहिए क्योंकि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स में या दूसरी फोर्स में भर्ती होकर जो जवान ट्रेनिंग के लिए जाता है, यह समझ लेना चाहिए कि उसी दिन उसने उपने बलिदान के दस्तखत कर दिए । चाहे वह किसी फोर्स में हो वह अपने बलिदान के दस्तखत कर देता है लेकिन यह फोर्स तो ऐसा फ़ोर्स है जोकि हर वक्त जूझता रहता है, मौसम की मुसीबत से, दुश्मन की गोली से और तस्करों के निशानों और उनका पीछा करते होने वाली परेशानियों से।

मान्यवर, आप जानते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इनके खाने-पीने की व्यवस्था में बड़ी मुश्किल होती है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन उनके वैलफेअर के लिए कोई संकेत नहीं है। उनकी फेमिली के लिए, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके वैलफेअर का इस बिल में कोई प्रोवीजन नहीं है । यह बड़े दुख की बात है । यह एक बड़ा स्पेशल फोर्स है, जिसमें भरती होने में सौ बार आदमी झिझकता है, सोचता है । उनको आप छोड़ दीजिए, जो जन्म जात पहाड़ों में रहते हैं। इसकी कम्पलीट फोर्स बनाने के लिए देश के सारे हिस्सों से लोगों को आना है ।...

5 P. M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think you must take this into account. Because they are working in scch conditions, some special allowance should also be given to them.

चौधरी हरि सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो और फोर्सेज में कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं उनको स्पेशल भत्ते मिलते हैं, लेकिन इनके लिए प्रोवीजन नहीं है । तो इनके लिए भी विशेष भत्ते का और कुछ आर्थिक प्रोवीजन करना चाहिए ।

मान्यवर, उनके परिवार के जो सदस्य घरों में रहते हैं, उनके बच्चों के स्कूल के संबंध में मेरा यह कहना है कि सेंट्रल स्कूल में इंडो-तिब्बतन बोर्डर पुलिस फ़ोर्स के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता । इसलिए मेरी बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि इण्डो-तिब्बतन बोर्डर के स्कूल जिलों में नहीं तो कम से कम गिने-चुने स्थानों पर होने चाहिएं जिनमें इन फोर्स में काम करने वाले अफसरों, कर्मचारियों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों, जो बोर्डर पर रहकर खाना बनाने का काम करते हैं या दूसरे काम करते हैं, उन सब के बच्चों का दाखिला उनमें हो सके । क्योंकि जब सोल्जर लड़ता है तो उसको और कोई ख्याल नहीं आता, अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं रहता, उसको अपनी मौत का भी अंदाज नहीं रहता, लेकिन वह अपने घर की ओर मुड़कर जरूर देखता है, उसको अपने बीवी-बच्चों की याद आती है ।

इसी संदर्भ में, मान्यवर, मैं बहुत छोटे में कहना चाहता हूं कि जो सोल्जर की जिंदगी होती है, वह बड़ी हार्ड होती है । आप जानते हैं आज की सोसायटी चेंज हो गई है । आज मैगजीन, टेलीफोन, रेडियो ने आदमी की लिविंग कंडीशन्स को और फीलिंग को चेंज कर दिया है । मेरा ख्याल यह है, मेरी जानकारी में यह है कि इनको साल में दो बार छुट्टी मिलती है । इस बारे में मैं यह चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी, और फोर्सेज को नहीं तो कम से कम इण्डो-तिब्बतन बोर्डर वालों को, जो हार्डेस्ट लाईफ बिता रहे हैं उनको तीन महीने में छुट्टी देने का प्रोवीजन कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

इसी के साथ, मान्यवर, लेटेस्ट वेपेन्स जो पहाड़ों में चलने वाले हैं उनको भी इनके लिए जुटाना चाहिए । यह मैंने अपने कुछ सुझाव आपके सामने रखे हैं और आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस इंडो-तिब्बतन बोर्डर पुलिस फोर्स में सारे देश के सारे हिस्सों से भरती की जानी चाहिए । सरदार साहब की एक बात से मैं एग्री नहीं करता हूं कि जो बैंक हैं या और यहां काम करते हैं वह नहीं, यह वेरायटी आफ लाइफ आदमी को, सोल्जर को लड़ने की ताकत देता है । अगर आप ड्राइ जीवन रखेंगे, सूखा जीवन रखेंगे, होपलेस वातावरण में रखेंगे तो वह ऊब जाएगा । यह बदल जो होती है यह जीवन के लिए अच्छी होती है । जो सिपाही होता है या अफसर होता है या कर्मचारी होत है, यह उसके जीवन में लिवलीहुड लाईफ लाता है, सेक्रिफाईस की भावना पैदा करता है । तो यह जो चेन्ज करते हैं यह करना चाहिए । इन्ही अलफाज के साथ मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Jaiswal, not here.

श्री मोहम्द सलीम (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो इण्डो तिब्बतन बोर्डर पुलिस फोर्स, सन् 1992 का है, मैं इसमें भाग लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि तीस साल तक हमने इंतजार किया इसे एक स्टेटुटरी बनाने के लिए और इसका गठन, इसके तमाम पहलू इस विधेयक में शामिल किए गए ।

हमारे यहां इतनी बड़ी सीमाएं जो हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हर साल हमारे जैसे गरीब मुल्क को भी हजारों करोड़ रुपए खर्चे करना पड़ता है और देश के ऊपरी भाग को हम इनकी हिफाजत में रखे हुए हैं ।

श्री कैलास नारायण सारंग (मध्य प्रदेश): नहीं तो इसे दे दें ।

श्री मोहम्मद सलीम: नहीं, दोस्ती तो कर सकते है । खैर, आपकी बात अलग है कि आप अपने देश में अपने देश के लोगों से झगड़ा करते हैं । लेकिन, आज की दुनियां यह सिखाती है कि हम पड़ोसी से दोस्ती करके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वह बंगला देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे बर्मा हो । यह हमारे लिए भी और इन देशों के लिए भी लाभदायक है । हमारी तो यह समझ है कि यह हमारा पहला फर्ज बनता है । अफसोस तो यह है कि 30 साल में भी हमारे इस सीमा-विवाद को हम सही ढंग से बैठकर के संजीदगी के साथ निपटा नहीं पाए । यह बात और है कि निबटाने के बाद भी हमें अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए ऐसे बल की जरूरत पड़ेगी और वह कोई त्रिशूल, तलवार लेकर होने वाला नहीं है । उसके लिए प्रशिक्षित, अनुशासित बल की जरूरत है और यह आई0टी0 बी0पी0 सुरक्षा बलों के अन्दर एलिटिस्ट फोर्स माना जाता है । इस विधेयक में भी यह स्वीकार किया गया है । खासकर हम इसे तवोज्जूह भी देते हैं क्योंकि यह हिमालय की जो ट्रेनिंग है बड़ी कठिन है । जो दिल्ली में बैठे हुए लोग या देश के जो दूसरे प्रांत के लोग हैं इनसे उनको कठिन अवस्था में रह कर के उससे बहुत ज्यादा कठिन काम अन्जाम देना पड़ता है । तो उन्हें कुछ सहूलियतें भी होनी

[श्री मोहम्मद सलीम]

चाहिए । उनको यह समझ में आना चाहिए कि हम हिमालय की चोटी पर, बर्फीले पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के जब इस देश की सरहदों का पहरा दे रहे हैं तो हमारे देश के एयरकंडीशंड रूम में बैठे हुए जो लोग हैं वह उनके बारे में चिन्तित हैं तथा वह उनके काम कर रहे हैं और इस बात को भी मैं मानता हूं, चाहे वह देश की आजादी हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे सीमा की सुरक्षा हो हम सिर्फ जोर देकर चाहे जितना भी डिस्प्लिंड या एलिटिस्ट फोर्स बनायें, उनको जो भी सहूलियतें दें, सिर्फ सुरक्षा बल के जरिये आजादी की रक्षा नहीं की जा सकती । उसके लिए देश की जनता, उनकी एकता, उनकी चेतना इसको भी बढ़ाने की जरूरत है । हम उन बलों के साथ हैं जो हमारी सरहदों का पहरा दे रहे हैं । मैंने इसलिए कहा कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमें आपस में बैठकर के हमें यह देखना चाहिए कि शिक्षा, अस्पताल और दूसरी जगहों से धन काट कर के हमें इस पर खर्च करना पड़ रहा है, तो उसको कहां तक कम किया जाये ? दूसरा सवाल यह है कि चाहे वह शांति का वातावरण क्यों न हो उस समय भी हमारी सीमा की सुरक्षा की जरूरत है । इसके लिए आप जो विधेयक लाये हैं, हम यह समझते हैं कि कृष्ण लाल शर्मा जी का इसमें एक एमेंडमेंट भी है कि इतना मोटा विधेयक 156 क्लॉज लगाया हुआ, समय की कमी से अगर उसको पास कर लें तो यह हम न्याय नहीं करेंगे । उन लोगों के साथ भी नहीं करेंगे जो हमारी सरहदों में बर्फीले पहाड़ में बैठकर के वहां चोटी पर पहरा दे रहे हैं और उन लोगों से भी न्याय नहीं करेंगे जो देशवासी करोड़ों रुपये टैक्स दे कर यह समझते हैं कि चलो, सरकार की यह जिम्मेदारी है । इसलिए हम यह समझते हैं कि यह कमेटी बननी चाहिए जो इसके तमाम पहलू को देखे, अच्छे ढंग से देखे । इसमें माननीय गृह मंत्री यह नहीं कह सकते कि समय की बहुत कमी है, जैसे कश्मीर के बारे में कहा कि दफ्तर के किसी दफ्तरी के हाथ में दे दो, बाकी वह सब काम ठीक कर लेंगे । क्योंकि 30 साल तक यह नहीं किया है । जरूरत पड़े तो 30 रोज और जरूरत पड़े तो 30 महीना और उसके बारे में जरा ठीक-ठाक देख सकती हैं और उसको यही ढंग से काम कर सकती हैं । लेकिन इसके बावजूद भी हम यह समझते हैं कि सीमा की सुरक्षा के अलावा आपके इस बिल के उद्देश्य में भी यह लिखा हुआ है कि हमारे काम, सुरक्षा बल जो हैं, इनको यह करना पड़ता है ।

मैं जो जनता के बारे में बात कर रहा था वह यह है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके साथ उनका सम्पर्क, उनका रवैया क्या होगा, यह भी बहुत हद तक ठीक करता है । यह कोई विदेशी फौज नहीं है । यह जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा भावना पैदा करने के लिए शांति के समय भी उनके साथ रहकर भी यह काम करना चाहते हैं । लेकिन हम जानते हैं, खासकर जो हम बंगाल के बारे में जानते हैं, आसाम के बारे में जानते हैं, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं, मिजोरम के बारे में जानते हैं, पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, वहां यह बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आई० टी० बी० टी० नहीं है । लेकिन गृह मंत्री, जरा ध्यान देंगे कि गांव के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने का सवाल आता है । आज हमारे देश में सीमा पार करके चाहे वह शस्त्र हों, चाहे वह विदेशी सामान हो, जो आज आ रहा है तो हम इतने पैसे खर्च करके जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके अंदर अगर कुछ हिस्से में भी ऐसे लोग हैं जो देश के स्वार्थ से ज्यादा अपने निजी स्वार्थ को देखते हैं उसकी वजह से आज हमारे देश के उग्रवादी लोगों के पास औजार पहुंच रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र से ड्रग्स पहुंच रही हैं, बर्मा के बोर्डर से हीरोइन आ रही है, पश्चिमी क्षेत्र से औजार आ रहे हैं । उत्तरी क्षेत्र से, हम जानते हैं चाहे वह इलैक्ट्रोनिक्स सामान हो, चाहे और भी कुछ सामान हो हमारे देश की अर्थ-नीति को अंदर से तोड़ने का काम कर रही है । गृह मंत्री क्या करेंगे ? अयोध्या में जब कुछ होता है तो वह कुछ नहीं कर सकते और यहां

बर्फीली चोटी में कुछ हो रहा है तो वह क्या करेंगे ? मैं गृह मंत्री की लाचारी कह रहा हूं । वह कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं लेकिन करना पड़ेगा । मैं अभी पिछले हफ्ते त्रिपुरा में था । त्रिपुरा में यह शिकायत भी होती है, पूरे देश में यह है भी कि इन्फिलट्रेशन होता है । हमारे भाजपा के साथी पूरे देश में बड़ी हवा लगाते हैं, यह बात अलग है कि वह उसको धर्म के रंगीन चश्मे से देखते हैं लेकिन हम समझते हैं, कि हमारे लिए एक आफत है । इसे रोकना चाहिए और यह सुरक्षा बल, जो सीमा सुरक्षा बल है, इसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल में लाना चाहिये ।

त्रिपुरा में पिछले एक साल में दो लाख लोग आकर बसे हैं बंगला देश से । वे गरीब हैं, गुरबत है, आते हैं । जो लोग इन्फिलट्रेशन के बारे में बात करते हैं, वह नहीं कहते वहां के आदिवासी भूखे मारे जा रहे हैं और मैंने यह देखा कि साईकिल में, जीप में, चावल, गेहूं सब बार्डर पार होता चला जा रहा है और वहां से हमारे शहरी लोगों के लिए कुछ सामान, इलैक्ट्रोनिक गुड्स, टेप-रिकार्डर, कैमरा चला आ रहा है । पूरी सीमा पर हम पहरा देते हैं । असम में भी यही सवाल है । प्रधान मंत्री जब असम गए, आम सभा में भाषण दे दिया कि लाखों लोग आकर यहां बस रहे हैं । हम करोड़ों रुपये खर्च किस लिए कर रहे हैं अगर सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकते ?

बंगाल में अक्सर यह देखा जाता है कि गांव के लोग, सीमा क्षेत्र में जो बसे हुए लोग हैं, मैं सबको जिम्मेदार नहीं समझता, दो फीसदी, ढ़ाई फीसदी, पांच फीसदी, दस फीसदी अगर ऐसे हैं जो यह देखते हैं कि वह सामान, जानवर, आदमी सबको इस पार से उस पार करने की जिम्मेदारी लिए हैं जिन पर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है । वहां गांव के लोग उनको मना करते हैं कि हमारे गांव के पार आना-जाना क्यों होता है, हमारे लिए नुकसान है और उनके ऊपर गोली चलाई जाती है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude. You have already taken nine minutes.

श्री मोहम्मद सलीम : तो अक्सर यह देखा जाता है कि गोली चलाई जा रही है । सिविलियन के मामले पर मुदाखलत किया जा रहा है । मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में मुझे कोई जाती अनुभव नहीं है लेकिन सरहद में जो लोग हमारे पहरे के लिए बैठे हुए हैं, उनकी यह जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों के साथ ऐसा सम्पर्क बनाएं कि वहां के लोग समझें कि विदेशी ताकत से हमारे देश को बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए यहां बैठे हैं, हमारे हित के विपरीत काम करने के लिए नहीं । यह गृह राज्य मंत्री को आई० टी० बी० पी० के बारे में बात करते समय मैंने इसलिए कहा कि सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है । चूंकि बहुत समय जब विदेशी ताकत के बारे में बात की जाती है तो वह कहते हैं कि हमारे दफ्तर का मामला नहीं है लेकिन टैररिज्म को मदद देने के लिए जो औजार आ रहे हैं सीमा पार करके । वहां तो हम समझते हैं कि बी० एस० एफ० पड़ा हुआ है बार्डर पर । तो उनको यह देखना पड़ेगा कि इसकी रोकथाम करें । इससे गलत सिगनल जा सकता है कि हम आई० टी० बी० पी० के विरोध में बोल रहे हैं । हमने देखा उत्तरकाशी में जब अर्थक्वेक आया तो आई० टी० बी० पी० के लोगों ने किस तरह से काम किया तो इसको मान देना चाहिए । शांति के समय हमारे सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया है । अगर इसको और अच्छी दृष्टि से चलाया जाए, अगर मंत्रालय इसे ठीक-ठाक कर देता है तो अच्छा काम हो सकता है और ये सुरक्षा बल कमांडिंग सर्विस कर सकते हैं । इसके लिए और एफिशियेंसी की जरूरत है । लेकिन इसके साथ मैं यह कहना चाहता

[श्री मोहम्मद सलीम]

हूं और आप भी इससे सहमत होंगे कि .....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Please conclude.

श्री मोहम्मद सलीम: इसमें एक क्लॉज दिया हुआ है कि उनके ऐसोसिएशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में रोकथाम करने की कोशिश की गई है । हम समझते हैं कि वह भी इंसान हैं, वह भी समाज से आए हुए हैं । यह लोकतांत्रिक देश है, यह कोई मिलिट्री डिक्टेटर का मुल्क नहीं है । ट्रेड यूनियन की बात मैं नहीं करता लेकिन उनकी शिकायत की सुनवाई का सही बंदोबस्त हो । इस तरह के बलों में ऐसा होता है । नौकरशाही में ऊपर वाले जो होते हैं वह बॉस होते हैं, वह भगवान होते हैं और दूसरे पर आर्डर चलाते हैं । चपरासी समझते हैं सब स्टाफ के लोगों को । ऐसा नहीं होना चाहिए । सही शिकायत की सुनवाई के लिए उनको कुछ अधिकार देना चाहिए । यह सब हम इस विधेयक में तय नहीं कर पायेंगे । इसलिए हमारी राय है कि आप इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजें । दोनों हाऊसेज की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजे और वहां इसकी सही सुनवाई हो और सभी पहलू देखकर हम इसे तय करें । ऐसा न हो कि हम अभी विधेयक बना दे और फिर 6 महीने के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़े । उससे अच्छा है कि पहले ही सब तरफ से देख लें । उसके लिए सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए, यह आखरी गुंजाइश है । धन्यवाद ।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): I would say, Mr. Vice-Chairman, that from the very early days, that is, from our student days we have cherished some reservation about the police force, whatever may be the name. And even when as a MPs we are also considered to be part of the establishment we are unable to shake off that old idea. But nevertheless, so far as this legislation goes, I completely agree with the hon. Member Mr. K. L. Sharma, that it should go to a Select Committee. Such a comprehensive Bill, on such a sensitive froce, efficient force, should go to a Select Committee because all the aspects cannot be dealt with either in 9 minutes or 10 minutes or two minutes. That has to be recognised both by the Chair and by the Minister of State for Home Affairs. I would point out certain very basic discrepancies regarding the clause on dismissal and other things. The laid down procedure says that the DG, the Additional DG and that way, up to the Deputy Inspector-General, powers have been given to them to dismiss or reduce any rank of the jawans or the members of the force other than the officers. Officers have always been exempted. But the force on which depends all the good performance has been brought under the purview of a rather draconian provision. I think this won't help in improving the morale of the common cadre in the Indo-Tibetan Force which is expected to perform very arduous duties. The previous speaker, Mr. Md. Salim, dealt with the other aspects. They have been totally denied the right to any collective action, any union or anything of the sort. Only a cultural or a religious congregation has been brought in here. Which religion? Why religion? Religion may bring division as we are witnessing in this country. I am at one with Shri K. L. Sharma on the question of a Joint Committee. But on the religious question, I am not one with him. As soon as he would say something I would protest and when I would say something he would protest. Then why bring in religion in the case of soldiers or army people? Let them practise their own religion in their own abode which they would get while discharging their duties. But no, there should be no union, no collective representation, nothing of the sort. Why do we have this type of olden-days idea regarding discipline?

Discipline is not incompatible with trade union activity. Trade union activity, if it runs on wrong lines can play havoc everywhere not only in the Indo-Tibetan Force. The Indo-Tibetan Force also comprised different people of this country and would be subject to all the follies. They cannot be completely immunised from them by having such draconian provisions. This is an observation made on the spur of the moment, so to say. I think this should not be the final judgement. If after 1962, this Bill could be brought in 1992, after 30 years, heavens will not fall if one more year goes. It will be a very considered step on the part of the Government if it agrees to refer the Bill to a Select Committee. This is a very important Bill covering a very important section of our forces —para-military forces. All the provisions in the Bill are not novel. There are some repetitions, no doubt. But after such long years, out-moded and outdated provisions should not be allowed to remain here because that can only impinge upon the morale of this force, whose high morale is very important if they should discharge their duties properly and conscientiously. Thank you.

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Mr. Vice-Chairman Sir, I support this Bill. The Bill seeks to provide, as is obvious from the Statement of Objects and Reasons, for constitution and regulation of an armed force, namely the Indo-Tibetan Border Police, primarily for the purpose of ensuring the security of our northern border and also to deal with ancillary matters. Sir, as a matter of fact, the Indo-Tibetan Border Police has been in force and has been in operation since the year 1962. But during the last 30 years there was no statute in the land to govern and regulate this force. As the hon. Minister of State for Home, Mr. M. M. Jacob, told us during his opening statement, so far, that is, during the last 30 years, the force was governed by the CRPF Act, 1959 and the rules framed thereunder from time to time. Sir, apart from acting as a centurian of our northern borders, the Indo-Tibetan Border Police is also charged with the responsibility of preventing smuggling activities and allied crimes. The Force is also charged with the responsibility of preventing an unauthorised entry into the country and exit from the country. It is also called upon to perform emergency duties to launch counter-terrorist operations in some of the States afflicted by terrorism. Therefore, it is only desirable that a maximum efficiency and a high degree of discipline should be infused into such a force and in order to infuse this high degree of discipline into this force, it is necessary to have an adequate legislation with strict penal laws provided in it. There are, we have seen, altogether 157 clauses in this Bill. There are clauses which seek to constitute offences which may be committed by a member of the force and the punishment which may be awarded to such a member in case of violation of order or discipline of the force. There are clauses which lay down offences of civil nature as may be committed by the members of the force. There is also a specific clause, namely, clause 51, which prescribes the various forms of punishment which may be awarded by the Force Courts. There is clause 60 which provides for imposition of collective fine on a particular unit of the force in case of loss or theft of ammunition or arms. There is also a clause, namely clause 61, which provides for the deduction of salaries and allowances of officers of the force in case of unauthorised absence from duty. Sir, I feel that these provisions are adequate enough for maintenance of discipline and improvement of efficiency in the force. But at the same time, Sir, I also feel, as one of the hon. Members mentioned, that the members of the ITBP should be paid special duty allowance as in the case of other forces. This will only serve as an incentive for them. I am also in full agreement with hon. Member Md. Salim who made a suggestion to

[Shri David Ledger]

the hon. Minister to bring out an amendment to the Bill which will provide to the members the right to form associations to ventilate their grievances. Sir, Clause 13 of the Bill prohibits the members from forming such associations. I would request the hon. Minister to consider this suggestion. As is obvious, the ITBP is the only force in the country today without a statute. It is in the fitness of things that a separate statute is being brought to govern and regulate this force. I am sure that this new legislation will be successful in achieving its object and with these words I welcome the Bill.

SHRI M. M. JACOB: Sir, I am thankful to the hon. members who participated in this debate and from the speeches made by the Members, I am happy that all Members agreed on the necessity of making a separate Act for this force—ITBP—because of the good tradition of the force and the requirement of the time. In my opening speech. I have given the reasons why we have brought it at this time. Mr. Krishan Lal Sharma, who moved an amendment requesting for a Select Committee for this Bill made one point on which I thought I must react, because a few other Members also expressed the same view. Sir, mainly some of the Members must have thought, looking at the Bill, that this is totally a new Bill with new clauses. Sir, it may be necessary to look in depth and then come out with suggestions. But, Sir, this Parliament has already passed separate Bills for the CRPF, the BSF, our army and so on and so forth. This is actually the same provision taken out from various past legislations and there is nothing new as such in this. It is actually a combination, taking into account the requirement of the time. That is the major point that make us bring the Bill. So, some of the provisions are corresponding to the army, some of the provisions are corresponding to the other forces which I just mentioned and our Parliament is already seized of it. So, we thought it is not necessary to refer it to a Select Committee. After all, as many of you agreed, this is a Bill brought after a long period—a delay of thirty years. That was one of the allegations made. Really, Sir, when we started the ITBP, it was a very small force. We never thought how the scenario is going to develop in future. As a result of the Chinese aggression in 1962, we had to have a special force to protect our borders, the borders on the high mountain terrain. In that terrain our forces were able to do very well and they could survive well and get expert training for effective combating anywhere at the highest places in our country. So, this force started expanding itself due to the requirement of the time and later on. as you are aware, the requirement of the country has grown in a different direction. We never thought that the ITBP would have to be called for meeting the terrorist menace. But terrorism has come to India as a new phenomenon though it existed in other parts of the world earlier. So, that aspect also required a special emphasis. But at the moment the ITBP personnel are given training to even meet the terrorist menace. Our own training methods are already there in our own country. I am also happy that there is a wide acceptance. Many of the Members who spoke have appreciated this Force, especially the services rendered by them during the Asian Games and on several other special occasions. At the time of the Uttarkashi earthquake, the services rendered by the ITBP were appreciated by this House. I am very much thankful to the House for that. I am also thankful to Mr. Ahluwalia who paid glowing tributes to Mr. Hukam Singh and Ms Santosh Yadav. Mr. Hukam Singh was the leader of the Everest Expedtion Team and this came in the newspapers and we all know about it. Inspector Santosh Yadav was the lady from the ITBP who climbed Mt. Everest and she is the second Indian woman to climb Mt. Everest. I must congratulate her. I also agree with Mr. Ahluwalia that

the House must congratulate the ITBP Team.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Not only that. Your Ministry should call them and honour them.

SHRI M. M. JACOB: We have recognised it and we have done it.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Please announce it in the House... (*Interruptions*) ...

SHRI M. M. JACOB: We have already done it and we are still thinking of what else can be done.

Mr. Krishan Lal Sharma, in his opening remarks, said that some of the service conditions could have been included. Well, service conditions could be brought in under the rules while framing the rules. We have not mentioned anything about the rules. It should be taken care of under the rules when we frame them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Being the Chairman of that Committee, I would like to look into them and see that they get as much benefit as possible.

SHRI M. M. JACOB: Yes, Sir. Mr. Dave mentioned—he is not here now—that punishments for trivial matters should not be there. Sir, punishments are not for trivial matters. In a disciplined Force like the ITBP, we have to have also an effective in-built mechanism to maintain the discipline of the Force. Otherwise, it may not be possible to manage it. That is why the Force Court is contemplated in this and that is the way we should do it Even the Army functions in a similar way. We are not eroding the rights of the citizen. There are avenues for meeting the grievances of the service personnel under the same scheme and so, that is also taken care of.

Then, the powers given under the clauses are similar to section 16 of the CRPF Act and section 137 of the NSG Act. So, there is nothing new about it. When we are encountering anti-national, dangerous ad outlawed people at various points, some strong measures are required and for taking strong measures, giving such powers to a Force like the ITBP is very necessary. I think it was Mr. Kulabidhu Singh who was mentioning about the smuggling across the Manipur border of narcotics which brings even AIDS and other vices into our country.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Also gold.

SHRI M. M. JACOB: Yes. I am very much thankful to him for mentioning this. He has requested for the deployment of this Force across that border. I will certainly have a look into it. The number of forces has to be taken into account and they are, at the moment, deployed in various important places and also for the security of banks in Punjab which has been entrusted to the ITBP. I must cogratulate the ITBP men because ever since they happened to go to Punjab for the security of the banks, the reported crimes in the banks like dacoities and robberies are not very much on the surface. God forbid, if I mention this, some people might think of committing dacoities in the banks! Anyhow, what I say is that they are doing a very good job. Anyway, we will certainly consider this proposal. At the moment, I may not be able to commit myself to say how soon it will be done. But, at the moment, this is an area which has to be effectively handled and the BSF is also aware of it and the Assam Rifles are also looking into it and various other security forces are attending to this at the moment. But still we have this menace, especially infiltration into Manipur, and it will be dealt with firmly and effectively.

Mr. Harj Singh mentioned about children's education and all that, Sir, it is already being taken care of...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, what about the Business to be taken up at 5.30 P.M.?

SHRI M. M. JACOB: I will be completing now.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I want the Chair's direction.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He is replying now. Now it is at the last stage. Immediately after this, we will take it up. I want to take the sense of the House. With your co-operation...

SHRI M. M. JACOB: If Mr. Malaviya will agree with me, I will conclude it very quickly.

Mr. Md. Salim made some points. Of course, I mentioned about Uttar Khasi. Then, Mr. Bhattacharya and Mr. David Ledger made some points. I am thankful to all of you for your good contribution. The ITBP, when they get a separate Act passed today by this House and followed by the Lok Sabha subsequently, they will certainly have a new strength of their own. And the satisfaction of the men of the ITBP will certainly go a long way in the fulfilment of our objective. I hope the House will pass this Bill unanimously and support the motion moved by me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now I shall first put to vote the amendment moved by Shri Krishan Lal Sharma for referring the Bill to a Joint Committee of Parliament.

SHRI M. M. JACOB: I request Sharmaji to withdraw his amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Sharmaji, do you want to say something?

श्री कृष्ण लाल शर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, सिद्धांततः हम लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को जो है इसके लिए हम कुछ नियम बनायें, उनकी सुविधाओं के लिए सोचें । मंत्री महोदय ने काफी स्पष्टीकरण दिए हैं । मुझे यह कहना था कि हम उनके स्तर के बारे में, अनुशासन के बारे में, कार्य-कुशलता के बारे में और जिन कठिन परिस्थितियों में हम उनसे काम करने के लिए कहते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं के बारे में तथा जो उनके कर्तव्य हैं उनके अनुसार उनको जो वेतनमान मिलना चाहिए उसके बारे में कम सोचते हैं । इसलिए मैंने गृह मंत्री जी से कहा था कि यह जल्दबाजी में हो रहा है । लेकिन उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है, इसके बाद मैं अपने प्रस्ताव को प्रेस नहीं कर रहा हूं और वापिस ले रहा हूं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : देर आयाद दुरुस्त आयाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Does he have the leave of the House to withdraw the amendment?

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I shall now put the motion moved by Shri Jacob to vote.

The question is:

> "That the Bill to provide for the constitution and regulation of an armed force of the Union for ensuring the security of the borders of India and matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 157 were added to the Bill.

Clause 1, *the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.*

SHRI M. M. JACOB: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Before the Minister of State for Home Affairs makes a statement about the incident of Police firing in Bhilai, I would like to take the sense of the House about clarifications on the Railway Minister's statement.

SOME HON. MEMBERS: That should be tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): All right. Now, the Home Minister.

STATEMENT BY MINISTER— Incident of police firing in Bhilai on Ist July, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTE OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I rise to inform the House of the incident of police firing on agitating workers in Bhilai, Madhya Pradesh on the 1st of July, 1992.

According to information received from the State Government about 3,000 men and 300 to 400 women workers owing allegiance to Chhattisgarh Mukti Morcha staged a dharna on the railway track near Power House railway station in Bhilai about 9.15 AM on 1st July, 1992.

The Chhatishgarh Mukti Morcha has been leading a workers' movement in Bhilai area for acceptance of a nine point charter of demands including abolition of contractorship, issues related to wages, bonus, service conditions etc. and reinstatement of retrenched workers. With the exception of the demand for reinstatement of retrenched workers, agreement on the other demands had been reached in a series of meetings held in the month of June, 1992. Further discussions on the demand for reinstatement were scheduled to be held on 1st July, 1992 with the officers of the labour department when the workers staged this dharna and indicated that it would continue till their demands were met.

Because of the dharna by the workers, the rail traffic on this route remained suspended for about eight hours. The railway authorities made repeated requests to the administration to help restore the traffic. Efforts by the Disrict Administration to persuade the workers to end the dharna did not succeed. The workers insisted on the fulfilment of their demands before clearing the rail track. There were stray incidents of pelting of stones during the day. Prohibitory orders under Section 144 Cr. P.C. were promulgated in the affected areas from 2 PM.

In view of the stone pelting, the Additional District Magistrate present on the spot issued a warning at about 4.45 PM to the workers to disperse. When the warning had no effect, the police force advanced to remove the workers from the track. The women workers started leaving the track but the men started stoning and some of them also attacked the police with sticks. The Sub-Inspector of Police, Shri T. K. Singh was fatally injured in this attack. Many other officers including the Supdt. of Police, Addl. Dstrict Magistrate, Superintendant of Police(City) and Addl-